

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग—दो

सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2020 (भाद्रपद 2, 1942)

संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित
आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने संबंधी

अगस्त, 2020 सत्र में माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

“यह सदन, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।”

चन्द्र शैखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा